सत्यमेव जयते

अंगदान
जीवनदान

ROTTO SOTTO
gifting life
REGIONAL AND STATE ORGAN AND TISSUE TRANSPLANT ORGANISATION (MUMBAI)

REGIONAL CUM STATE ORGAN AND TISSUE TRANSPLANT ORGANISATION WEST & MAHARASHTRA

अंग दान और ऊतक (Tissue)दान क्या है?

उन मरीजों के लिए जो स्थायी अंग विफलता के कारण मृत्यु के कगार पर हैं और समय पर अंग प्राप्त नहीं होने पर, मर सकते हैं, उनके लिये मरणोपरांत अपने अंगों या ऊतकों का दान करना जीवनदान का एक उपहार है। अंग दान एक बहुत ही उदार कार्य है, जो जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाता है और बदलता है। अंग दान से हर साल लाखों मरीजों की जान बचाई जा सकती है।

मृत्यु के बाद कई ऊतक भी दान किए जा सकते हैं। ऊतक दान मरीज के जीवन स्तर को बदल देता है। जैसे नेत्रदान (Cornea Donation) नेत्रहीनों को दृष्टि देता है। ऊतक पुनर्निर्माण से कंकाल के दोषों को हटाया जा सकता है, रोगियों का तेजी से पुनर्वास होता है और दर्द को कम किया जा सकता है।

अंग प्रत्यारोपण क्या है?

अंग या ऊतक प्रत्यारोपण में जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ अंग या ऊतक (Tissue) को निकालना और एक जरूरतमंद मरीज मे प्रत्यारोपित करना होता है।

अंगों या ऊतकों का दान कैसे करें?

अंग या ऊतक दान तीन तरीकों से किया जाता है।

१. ब्रेन स्टेम डेथ के बाद होनेवाला डोनेशन – इसमे ब्रेन स्टेम मृत होने के कारण व्यक्तिको मृत घोषित किया जाता है. ब्रेन स्टेम डेड दाता हमेशा ICU और वेंटिलेटर पर रहता हैं।

२. दिल की विफलता के कारण मृत्यु के बाद दान – इसका मतलब है कि जब दिल धड़कना बंद हो जाता है और मृत्यु होता है, तो मृत्यु के बाद केवल ऊतक दान किया जा सकता है, जैसे कि नेत्रदान और त्वचा दान।

३. जीवित व्यक्तियों से दान,
जीवित लोग अपने करीबी रिश्तेदारों या जरूरतमंद मरीजों को अपनी सहमति से प्यार और स्नेह के कारण अंग दान कर सकते हैं, मेडिकल सर्जरी के माध्यम से एक किडनी, (क्योंकि हमारे पास दो किडनी हैं). जिगर या फेफड़े का एक छोटा सा हिस्सा दान किया जा सकता है। कमर (Hip) या घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान निकली हड्डियों को, या प्लेसेंटा को भी दान किया जा सकता है।

अंग दान के लिए कौन पात्र हो सकता है?

किसीभी ऊम्रकी व्यक्तिअंगदान कर सकती हैं। अंग प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पहले यह जांचते हैं कि दाता अंग के दान करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है या नहीं। अंग प्रत्यारोपण के पहले अंग की जांच और परीक्षण के बाद ही अंग दान किया जाता है। वैसे, हम में से अधिकांश संभावित दाता हैं।

मृत्यु के बाद हम किन अंगों या ऊतकों का दान कर सकते हैं?

मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेनडेथ) के बाद ही हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, बड़ी आंत, Pancreas जैसे अंग दान किए जा सकते हैं।

हृदय के वाल्व, हड्डियां, टेंडन, लिगामेंट्स, त्वचा और कॉर्निया को हृदय बंद होने के बाद दान किया जा सकता है।

नेत्रदान और त्वचादान मृत्यू पश्चात ६ घंटे के अंदर संभव है।

एक अंग दाता ८ लोगों की जान बचा सकता है। एक ऊतक दाता लगभग ५० लोगों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, क्योंकि दान किए गए ऊतकों को विभिन्न आकारों में काटा जा सकता है और कई मरीजोंके के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अंग दान की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

मृत्यु के लगभग ६ घंटे के भीतर ऊतक दान किए जा सकते हैं। ब्रेनडेथ के बाद आंतरिक अंगों का दान किया जा सकता है। एक ब्रेन डेड व्यक्ति की दिल की धडकन कृत्रिम रूप से लगभग ३६ से ७२ घंटे तक रखी जा सकती है। अंगदान सहमति के बाद प्रियजन के मृत शरीर को पुनः प्राप्त करने में २४ घंटे तक का समय लग सकता है। दान किए जाने वाले अंगों की संख्या, दाता के अस्पताल से प्राप्तकर्ता मरीज के अस्पताल तक की दूरी, उन अंगों के वितरण के लिए आवश्यक समय, चिकित्सा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक दान के लिए आवश्यक समय अलग होता है, इन सब बातोंको ध्यानमे रखते हूए अंग दाता के रिश्तेदारों को संयम बरतना चाहिए और सहयोग करना चाहिए।

उनके नेक फैसले की वजह से कई जरूरतमंद मरीज बच सकते है।

ब्रेन डेथ क्या है ?

ब्रेन स्टेम स्थायी रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को मस्तिष्क मृत घोषित कर दिया जाता है।

ब्रेन डेड लोग अपने दम पर सांस नहीं लेते हैं और उनकी चेतना वापस आने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्वास और चेतना दोनों का केंद्र ब्रेन स्टेम है, जो ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, ब्रेन स्टेम मृत व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन वेंटिलेटर से और अन्य चिकित्सा सहायता दी जाती है, इसलिए उसका हृदय लगभग ३६ से ७२ घंटे तक काम कर सकता है और अंगों को ऑक्सीजन प्राप्त करना जारी रहता है। इस अवधि के दौरान करीबी रिश्तेदारों की सहमति से अंग दान किया जा सकता है। चूंकि संभावित अंग दाता एक वेंटिलेटर पर है, ब्रेन स्टेम की मृत्यु केवल एक मान्यता प्राप्त अस्पताल के ICU में घोषित की जा सकती है।

ब्रेन स्टेम डेथ कैसे घोषित होती है?

चार सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टरों की एक समिति ब्रेन स्टेम डेथ की घोषणा करती है। इन चार डॉक्टरों का प्रत्यारोपण सर्जरी से कोई लेना–देना नहीं होता है। ये डॉक्टर कम से कम ६ घंटे के अंतराल पर दो बार ब्रेन स्टेम डेथ टेस्ट्स करके ब्रेन डेथ का निदान करते हैं। ब्रेन स्टेम डेथ को अंग दान के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल में ही घोषित किया जा सकता है। और ये डॉक्टर ब्रेन डेड सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करते हैं। ब्रेन स्टेम डेथ घोषित करने के मानदंड को दुनिया भर में अपनाया गया है। ब्रेन डेड व्यक्ति के रिश्तेदारों को अंग दान के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है।

क्या किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित करनेके बाद जीवित रहने की संभावना है?

नहीं। एक ब्रेन स्टेम डेड व्यक्ति मृत है और उसके बचने की कोई संभावना नहीं है।

ब्रेन स्टेम डेथ का इच्छामृत्यु से कोई लेना–देना नहीं है। ब्रेन स्टेम डेथ व्यक्ति के अंग, उसके ब्रेन स्टेम डेथ की घोषणा के बाद ही लिये जाते है।

सभी कोमा के मरीज ब्रेन स्टेम डेड नहीं हैं। एक कॉमाटोज मरीज का ब्रेन स्टेम लंबे समय तक सक्रिय हो सकता है और चेतना वापस पाने की संभावना हो सकती है। ब्रेन स्टेम डेथ कोमा से परे की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी होश में आने की संभावना नहीं होती। अंग दान, दाता की जानकी कीमत पर कभी नहीं किया जाता है।

क्या भारत में अंग और ऊतक दान कानूनी है?

हाँ। भारत में, अंगदान, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, १९९४ के तहत किया जाता है। उस कानून को २०११ में संशोधित किया गया था और २०१४ में कानून के नियमों को मंजूरी दी गई थी। ये कानून उपचार के लिए अंगों को निकालने, संचयन और अंगों के प्रत्यारोपण के लिए नियम प्रदान करता हैं। यह कानून अंगों की बिक्री और खरीद को प्रतिबंधित करता है। यह कानून ब्रेन स्टेम डेथ को भी स्वीकार करता है और ब्रेन स्टेम डेथ को घोषित करने के नियम प्रदान करता है।

क्या अंग दान के बाद दाता का शरीर रिश्तेदारों को लौटा दिया जाता है?

हाँ। अंग दान के बाद, दाता का शरीर सम्मानपूर्वक अंत्यविधी के लिए रिश्तेदारों को लौटा दिया जाता है। अंग दान शरीर दान से अलग है। मृतक के शरीर को मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विभाग को दान किया जाता है ताकि छात्र और डॉक्टर अध्ययन या अनुसंधान के लिए शरीर का उपयोग कर सकें। देह दान में शरीर को अंत्यविधी के लिए वापस नहीं किया जाता है।

क्या अंगों और ऊतकों को केवल अमीर या संपन्न को दिया जाता है?

नही । दान किये गये अंगों का वितरण सरकार द्वारा प्रस्थापित संस्था द्वारा ही किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शक तत्वोंके आधारपर प्रतिक्षा सूची बनायी जाती है । यह प्रतिक्षा सूची बनाते वक्त मरीज का आयु, रक्त के प्रकार, प्रतिक्षा अवधि और मरीज की चिकित्सा स्थिती जैसे मानदंड को ध्यान में रखा जाता है । अंग के वितरण के समय मरीज का आर्थिक, सामाजिक दर्जा या धर्म मायने नहीं रखता है।

महाराष्ट्र में प्रतिक्षा सूची व अंगों का वितरण प्राथमिक स्तरपर सरकार निर्मित संस्था झोनल ट्रान्सप्लांट कॉर्डिनेशन सेंटर (ZTCC) द्वारा किया जाता है ।

रिजनल और स्टेट टिश्शु ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन (ROTTO–SOTTO) राज्य और प्रादेशिक स्तरपर अंगो का वितरण करती है ।

राष्ट्रीय स्तर पर यह काम नॅशनल ऑर्गन टिश्शु ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन (NOTTO) द्वारा किया जाता है ।

कृत्रिम और जैविक रुप मे ऊतक उपलब्ध होने के कारण नेत्रपटल (Cornea) के अलावा ऊतकों के लिये प्रतिक्षा यादी नही होती ।

क्या अंग दाता के रिश्तेदारों को अंग प्राप्त करने वाले रोगी के संबंध या पहचान दी जाती है?

नहीं। अंग दाता रिश्तेदारों को अंग प्राप्त करने वाले मरीजों का नाम और पता नहीं बताया जाता है। साथ ही, जिन रोगियों को अंग मिले हैं, उन्हें अंग दाता का नाम और पता नहीं दिया गया है।

क्या अंग और ऊतक दान के बाद दाता के शरीर में कोई विद्रुपता खराबी आती है?

नहीं। अंगोको सावधानीपूर्वक शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन थियेटर में ले जाकर निकाला जाता है। अंग निकालना, किसी अन्य सर्जिकल प्रक्रिया की तरह है और दाता के शरीर में कोई विद्रुपता नही होती है.

जब अंगों के साथ–साथ ऊतकों को दान किया जाता है, तो पैर या हाथ को भी चीरा लगाने की जरूरत होती है, लेकिन उस जगह को सावधानी से सिल दिया जाता है ताकि कोई विकृति न हो।

यदि अंगों की हड्डियों का दान किया जाता है, तो हड्डियों को हटाने के बाद हाथ और पैर का आकार दिया जाता है, ताकि शरीर विकृत न हो।

किसी भी अन्य सर्जरी की तरह, डोनर के शरीर से अंगों को निकालते समय सावधानी बरती जाती है। अंगों और ऊतकों को दान करने के बाद, रिश्तेदार मृत शरीर पर अंतिम संस्कार कर सकते हैं।

क्या हमारा धर्म अंग दान को मंजूरी देता है?

हाँ। भारत में सभी धर्म अंग और ऊतक दान को एक अच्छा कर्म मानते हैं क्योंकि यह बहुतों को नया जीवन देता है।

क्या अंग दान के बाद दाता रिश्तेदारों को कोई मुआवजा मिलता है?

नहीं। अंग और ऊतक दान एक परोपकारी और निस्वार्थ कार्य है, इसलिए अंग दाता के रिश्तेदारों को कोई वित्तीय मुआवजा नहीं दिया जाता है।

हालांकि, अंग दान के दौरान अंग दान के लिए किए गए परीक्षणों या परीक्षणों की लागत को दाता के रिश्तेदारों को नहीं ऊठाना पड़ता है ।

मानव शरीर के अंगों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४ के तहत यह दंडणीय अपराध है।

कोई व्यक्ति अंगों और ऊतकों को कैसे दान कर सकता है?

व्यक्ती के मृत्यु के बाद, व्यक्ती का शरीर उसके करीबी रिश्तेदारों जिम्मेदारी होती है। इसलिए, अंग दान के लिए उनकी सहमति आवश्यक है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति अंग दान फॉर्म या कार्ड भरता है, तो भी करीबी रिश्तेदारों का निर्णय अंतिम होता है।

इसलिए अपने अंग दान के निर्णय के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताना और उनके साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण है। आपको उन्हें यह बताना चाहिए कि आप अंगों का दान करना क्यों सही समझते हैं। अंग दान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। वे किसी के जीवन में दुख और पीड़ा को कम करके बेहतर जीवन जी सकते हैं। जब आप अंग दान करने का निर्णय लेते हैं तो अपने रिश्तेदारों को अवश्य बताएं। एक नेत्रहीन व्यक्ति दृष्टि प्राप्त कर सकता है, एक जले हुए रोगी को त्वचा दानसे नया जीवन मिल सकता है।

रिश्तेदारों को बताना कि आप क्या सोचते हैं, इससे उन्हें निर्णय लेने में आसानी होगी। यह पाया गया है कि यदि दाता ने अंग दान के लिए अपनी इच्छा के बारे में पहले से ही रिश्तेदारों को सूचित कर दिया है, तो ९६% रिश्तेदार अंग दान के लिए सहमत होंगे और यदि नहीं कहा गया है, तो ५८% रिश्तेदार अंग दान के लिए सहमत होंगे।

एक अंग दान कार्ड भरें और इसे हर समय अपने पास रखें। अंग दान कार्ड पर घर के कम से कम एक सदस्य के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

अंग दान द्वारा एक व्यक्ति आठ लोगों की जान बचा सकता है।

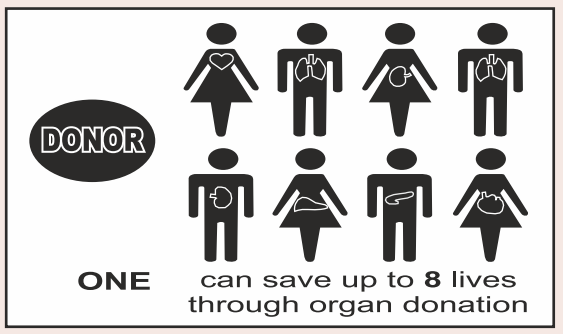

Donor forms and cards are available at the following addresses:

Regional cum State Organ and Tissue Transplant Organisation (ROTTO-SOTTO)
K.E.M. Hospital & G.S. Medical College,
New Building, 7th Floor, Acharya Donde Road,
Parel, Mumbai, 400012, Maharashtra.
Email : rottosotto.mumbai@gmail.com
Telephone :
+91 022 24107738 / 24107739, +91 7021932447

National Organ and Tissue Transplant Organisation (NOTTO)
Website: http://www.notto.gov.in
NOTTO Toll free helpline: 1800114770